भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2966
उत्तर देने की तारीख 17 दिसम्बर, 2025

सिम दुरुपयोग और साइबर सुरक्षा के लिए मोबाइल ग्राहकों की देयता

2966. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मोबाइल ग्राहकों के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्डों के दुरूपयोग के मामले में उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और अब तक दर्ज ऐसे मामलों की संख्या संबंधी तारीखों का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो संसद को सूचित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने छेड़छाड़ वाले आईएमईआई और सिम बॉक्स के उपयोग के संबंध में कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सिम आवेदनों का सत्यापन सुनिश्चित कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नागरिकों को आईएमईआई सत्यापन के संबंध में प्रभावी रूप से जागरूक किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अपर्याप्त जन जागरूकता के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार के पास निर्दोष ग्राहकों को दंडित किए बिना अपराधियों को उत्तरदायी ठहराने हेतु कोई स्पष्ट रणनीति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 की उप-धारा 42(3)(ङ) के अनुसार, धोखाधड़ी, जालसाजी या प्रतिरूपण के माध्यम से ग्राहक पहचान मॉड्यूल या अन्य दूरसंचार आइडेंटिफायर प्राप्त करना एक अपराध है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं।

(ख) जी, हाँ। सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की उप-धारा 42(3)(ग) और उप-धारा 42(3)(च) के तहत ज़रूरी वैधानिक प्रावधान किए हैं, जिसके तहत दूरसंचार आइडेंटिफायर के साथ छेड़छाड़ करना और जानबूझकर ऐसे रेडियो उपकरण रखना, यह जानते हुए कि यह अनधिकृत या छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करता है, अपराध माना जाएगा। इसके अलावा, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर यूनिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को हटाने, मिटाने, बदलने या उसमें बदलाव करने या जानबूझकर टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर या टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट से संबंधित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने, बनाने, बेचने, कंट्रोल या कस्टडी में रखने या अपने पास रखने को प्रतिबंधित करता है, यह जानते हुए कि इसे इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने लाइसेंस की शर्तों के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) सब्सक्राइबर बनाने से पहले प्रत्येक ग्राहक का पर्याप्त सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

(ङ) और (च) दूरसंचार विभाग ने एक नागरिक-केंद्रित संचार साथी पोर्टल और ऐप डेवलप किया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, नागरिकों को इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट की प्रमाणिकता की जाँच करने में मदद करता है। दूरसंचार विभाग संचार साथी पहल के तहत बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियानों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और दूरसंचार से जुड़ी धोखाधड़ी को रोक रहा है। आईएमईआई सत्यापन के बारे में समझाने वाले वीडियो और इन्फोग्राफिक्स तैयार करके दूरसंचार विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने संचार मित्र योजना भी शुरू की है, जिसके तहत छात्र वॉलंटियर्स को डिजिटल सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और संचार साथी पोर्टल और ऐप के इस्तेमाल के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए जोड़ा गया है। उनकी भागीदारी ज़मीनी स्तर पर, खासकर स्थानीय भाषाओं में बातचीत के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा, नागरिकों तक पहुँचने के तरीकों में कई भाषाओं में समाचार लेख और विज्ञापन, सार्वजनिक जगहों पर डिजिटल स्क्रीन और होर्डिंग, टीवी और रेडियो संदेश, दूरसंचार विभाग की फील्ड यूनिट्स द्वारा स्थानीय स्तर की गतिविधियाँ, टीएसपी के साथ एसएमएस अभियान और बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया कंटेंट शामिल हैं।

संचार साथी साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के गलत इस्तेमाल की आशंका की रिपोर्ट करने में सभी नागरिकों की 'जन भागीदारी' में भी मदद करता है। इस तरह के संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करना आसान बनाकर, संचार साथी उन लोगों को, जो जोखिम को समझते हैं, उन लोगों की रक्षा करने में मदद करता है, जो जोखिम को नहीं समझते हैं। इससे प्राधिकारी और दूरसंचार ऑपरेटर पैटर्न पहचानने और गलत नंबरों और जाली कनेक्शन पर कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं, जिससे अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाता है और साथ ही निर्दोष सब्सक्राइबरों की रक्षा की जाती है।

*****